प्रतिलिपि आदेश दिनांक 25-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 2557-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-4-2013 पारित द्वारा तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर प्र0क्र0 25/अ-5/12-13।

1- कुटलू राजपूत तनय मोतीलाल राजपूत
निवासी भारा तहसील कुलपहाड़
जिला महोबा उ0प्र0
2- हरीराम तनय चन्द्रभान राजपूत
3- रामपाल तनय गौरीशंकर राजपूत
4- रामनारायण तनय चन्द्रभान राजपूत
निवासी नौगांव तहसील नौगांव जिला
छतरपुर म0प्र0 --- आवेदकगण

विरूद्ध

शम्भूदयाल तनय छेदालाल साहू
निवासी टी0बी0 अस्पताल चौराहा
नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर --- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2337/III/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25.8.14	म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्र0क0 23/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दि0 24.4.2013 के विरूद्व न्यायालय में दि0 31.7.2014 को प्रस्तुत की है।	
	2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि तहसीलदार के आदेश की जानकारी उन्हें गैर निगरानीकर्ता व्दारा दिनांक 1.6.14 को मौके पर कब्जा करने पहुंचने पर के आधार पर हुई है। तब सीमांकन की जानकारी प्राप्त करने एंव प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में लगे समय को मुजरा कराने पर निगरानरी समयावधि में है। आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने से निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य है।	
	4/ तहसीलदार नौगॉव के आदेश दिनांक 24-4-13 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने इस आदेश व्दारा अनावेदक की नौगॉव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 754/2/15 एंव 754/2/18 का नक्शा तरमीम किया है। उन्होंने यह आदेश संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन पारित किया है जिसके कारण तहसीलदार का आदेश अपील योग्य है ऐसे आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी विचार योग्य नहीं है।	
	5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।	
	सदस्य	